फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री लोकपाल शर्मा
निवासी सुथारों का वास
मगरा, पूंजला, जोधपुर
जिला जोधपुर।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
कोषाधिकारी सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 15 वर्ष 2026

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
24.02.2026	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी सिरोही को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 02.09.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कोषालय सिरोही में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कितने पद स्वीकृत है व कितने पद रिक्त है तथा रिक्त पदों पर संविदा / होमगार्ड्स के कार्मिक लगाने की स्वीकृति की प्रति तथा लगाए गए कार्मिकों का माह जनवरी 2025 से अगस्त 2025 तक उपस्थिति रजिस्टर एवं जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक किए गए भुगतान का माह वार विवरण की प्रमाणित प्रति एवं संविदा / होमगार्ड्स के कितने कार्मिक कोषालय के बजाय कोषाधिकारी के आवास पर सेवाएं दे रहे है तथा कोषाधिकारी को आवास पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रखने की स्वीकृति है तो उसकी प्रति उपलब्ध करावें। साथ ही कोषालय में लगे कोषाधिकारी के कक्ष के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज की प्रति उपलब्ध करवाने से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी सिरोही को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 02.09.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कोषालय सिरोही में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कितने पद स्वीकृत है व कितने पद रिक्त है तथा रिक्त पदों पर संविदा / होमगार्ड्स के कार्मिक लगाने की स्वीकृति की प्रति तथा लगाए गए कार्मिकों का माह जनवरी 2025 से अगस्त 2025 तक उपस्थिति रजिस्टर एवं जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक किए गए भुगतान का माह वार विवरण की प्रमाणित प्रति एवं संविदा / होमगार्ड्स के कितने कार्मिक कोषालय के बजाय कोषाधिकारी के आवास पर सेवाएं दे रहे है तथा कोषाधिकारी को आवास पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रखने की स्वीकृति है तो उसकी प्रति उपलब्ध करावें। साथ ही कोषालय में लगे कोषाधिकारी के कक्ष के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज की प्रति उपलब्ध करवाने से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक / कोष / आरटीआई / 2025–26 / 355 दिनांक 24.09.2025 के द्वारा अपीलांट को सूचित कर दिया गया था, कि अपीलांट निर्धारित शुल्क कार्यालय में जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर सकते है, परन्तु अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क जमा नहीं करवाया गया है। अतः उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट की ओर से किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	